

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 110/2018

निर्णय दिनांक 14.11.2019

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ

-----वादी

बनाम

धनाराम पुत्र आदूराम जाट निवासी मिगसरिया तहसील श्री डूंगरगढ जिला  
बीकानेर

-----प्रतिवादी


उपस्थिति-

1. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
2. प्रतिवादी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद स्टेट की तरफ से जरिये तहसीलदार, श्री डूंगरगढ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मिगसरिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 2.37 हैक्टर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी ने बिना सक्षम स्वीकृति व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये एयरटेल मोबाईल कम्पनी का टॉवर स्थापित किये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है । इस प्रकार प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्टर 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी को कार्यालय द्वारा दिनांक 15.9.1996 को नोटिस जारी कर अवैध रूप से लगाये गये एयरटेल मोबाइल टावर को हटाने व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की और ना ही अवैध टॉवर को हटाया है ना ही रूपान्तरण करवाया है । प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तों के उल्लंघन करने की तारीफ में आता है । जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक हासिल नहीं है और ना ही अधिकार प्राप्त है । खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से नेचर परिवर्तन नही करसकता है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मिगसरिया तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 2.37 हैक्टर में से 335 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें तथा खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी का सम्मन पौत्र पर तामिल होकर प्राप्त हुआ परन्तु अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)


बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

रोही मिगसरिया तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 2.37 हैक्टर में से 335 वर्गमीटर भूमि जिस पर वादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्रार्थी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

  
(राकेश कुमार न्योल)  
उपखण्ड अधिकारी,  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)

